अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015,

सं0 9/2015- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाना) नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाना) संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये 1 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त नियमों के नियम 3 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु ऐसी किसी विनिर्माता द्वारा, जिसके विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनयम, 1944 की धारा 11क की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कारण बताओं सूचना जारी नहीं की गई है या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 12गगग या कैंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 12ककक के अनुसरण में जारी की गई किसी अधिसूचना के अधीन कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है, वचनपत्र देना पर्याप्त होगा ।"

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण** : मूल नियम, अधिसूचना सं. 34/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा सा.का.नि. 448(अ), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 13/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 177(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम संशोधन किया गया था ।